

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

तारीख हुक्म

20/09/19

इकजाही जेसी सु
पत्रावली पेश करी लघुहस्ताक्षर उप./
अनुपस्थित अधिकारी
दौरा पर/ज... व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आइन्दा आईन्दा
दिनांक-15/10/19 को पेश हो।

15/10/19

पत्रावली पेश करी लघुहस्ताक्षर उप./
अनुपस्थित अधिकारी
दौरा पर/ज... व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आइन्दा आईन्दा
दिनांक-24/10/19 को पेश हो।


24/10/19

पत्रावली पेश करी लघुहस्ताक्षर उप./
अनुपस्थित अधिकारी
दौरा पर/ज... व्यस्त।
कोसिआबउ लघु इकजाही करी लघुहस्ताक्षर उप./
दिनांक-25/10/19 को पेश हो।

25/10/19

इस पत्रावली पेश हुई। पछील जाची उपर। प्रकरण में पहल वहील जाची सुनी गई। दोराने पहल वहील जाची ने अपने जानना पर में अंतिम रूपों के दोहराने इस अलखि अनुलोष निर्णय पारित डिसे जाने का निर्णय लिया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्षर रेकार्ड, दरमोवेजान आदि का अवलोकन किया गया। प्रंति जाची के पहचान के दरमोवेजान अन्त आकार आई, बेंड कारा, मनदारा पहचान पर, आदि में जाची का नाम "गणपत पुत्र गिरधारी" दर्ज है तथा सरपंच ग्राम पंचायत उरुप्रसा ने भी दान लक्ष्य की तालीद की है कि जाची का कारनामिड व सही नाम

क्रम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p>"गणपत पुत्र गिरधारी" ही है अतः प्रार्थी को प्रार्थना - पर स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि :-</p> <p style="text-align: center;"><u>निर्णय</u></p> <p>रतन ग्राम कामरुजा तहसील जखेल जिला सीकर (राज) अवस्थित कृषि भूमि क्र. नं० 565, 670, 677, 678, 709, 712, 728 व 723 में प्रार्थी का नाम "गणपत पुत्र गोदा" के प्लान पर "गणपत पुत्र गिरधारी" दुरुस्त किया जाय है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल परामर्श हेतु तहसीलदार जखेल के तहरीर आदेश जारी होकर प्राबली फैसल सुनार से रज अफ तकरीब कर्षिद परफर हो। निर्णय पुत्रे न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (रणजीत सिंह) उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर) </p>	